



349

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / 2014

R-3102-II/14

01. रतन सिंह आत्मज श्री मेहरबान सिंह आयु वयस्क
02. उदय सिंह आ. श्री भागीरथ सिंह आयु वयस्क
03. ज्ञान सिंह ठाकुर आ. श्री प्रहलाद सिंह आयु वयस्क,
04. पवन सिंह आ. श्री कमल सिंह आयु वयस्क,
05. गजराज सिंह आ. श्री रामसिंह आयु वयस्क
06. तेज सिंह आ. श्री रामसिंह आयु वयस्क,
07. सुमेर सिंह आ. श्री रंजीत सिंह आयु वयस्क,
08. पवन सिंह आ. श्री अमर सिंह आयु वयस्क,
09. बजेसिंह आ. श्री प्रहलाद सिंह आयु वरुसक
सभी निवासी ग्राम बिलपान तहसील जावर जिला
सीहोर म०प्र०
10. गुलाब सिंह आ. श्री देवी सिंह आयु वयस्क,
11. महेन्द्र सिंह आ. श्री देवी सिंह आयु वयस्क
निवासी ग्राम भानाखेड़ी तहसील जावर जिला
सीहोर म०प्र०

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

01. आजाद सिंह दण्डी सेवा आश्रम देव बड़ला
द्वारा अध्यक्ष मेहतवाड़ा तहसील जावर जिला सीहोर
02. म०प्र० राज्य

.....रेस्पाण्डेंटगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश
दिनांक 22/07/2014 प्रकरण क्रमांक 01/बी-121 / 11-12 पारित
श्रीमान् तहसीलदार महोदय जावर जिला सीहोर म०प्र०

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक - R/3102/2114, सीदोर, शबन सिंह / आजाद सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--------------------------------------

20/12/18

आवेदक की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह बाकुर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जावर, जिला सीदोर के प्रकरण क्रमांक 01/वी-121/11-12 में पारित आदेश दिनांक 22/07/14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीदोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को कलेक्टर जिला सीदोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


सदस्य

